राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रारूप) 2019

विमर्श के कुछ प्रस्थान बिन्दु

देश की आज़ादी के बाद के शिक्षा इतिहास में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद् दस्तावेज़ 1968 में प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दूसरा मसौदा 1986 में प्रस्तुत किया गया। शिक्षा नीति 1986 अपने पुनरीक्षित स्वरूप में 'क्रियान्वयन कार्यक्रम' के साथ 1992 में फिर से प्रस्तावित की गई। अब लगभग 35 वर्ष बाद 31 मई, 2019 को शिक्षा नीति का नया दस्तावेज़ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019' का प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा नीति 2019 के निर्माण की प्रक्रिया, मई 2015 में शुरू हुई। जब सभी राज्यों में, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संस्थानों जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत और संकुल स्तर पर इस सन्दर्भ में परिचर्चा की शुरुआत की गई। इस परिचर्चा में आए विचारों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दर्ज़ किया गया। अक्तूबर 2015 में, स्वर्गीय टी एस आर सुब्रमनियन, (भूतपूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार) की अध्यक्षता में शिक्षा नीति की रिपोर्ट पर काम शुरू हुआ, रिपोर्ट भी बनी लेकिन विभिन्न कारणों के चलते यह जारी नहीं हो सकी। बाद में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (न्यूपा) की वेब साइट में अपलोड किया गया।

जून 2016 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'सम इनपुट्स फॉर ड्राफ़्ट एडुकेशन पॉलिसी 2016' नाम का दस्तावेज़ अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया और साथ ही यह गुज़ारिश भी की कि संस्थान, व्यक्ति सभी इस नीति पर अपना फीडबैक, टिप्पणियाँ देने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि इस दस्तावेज़ पर भी काम पूरा नहीं हुआ और यह अपने अन्तिम रूप में नहीं आ सका।

जून 2017 में, मंत्रालय द्वारा पुनः शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई। डॉ के. कस्तूरी रंगन (प्रबुद्ध वैज्ञानिक एवं पूर्व इसरो अध्यक्ष) की अध्यक्षता में नौ व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की गई। कमेटी को लगभग छह महीने के समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना था। ऐसा मसौदा जो 'शिक्षा के क्षेत्र में गतिशील और तेजी से बदलते हुए स्वरूप के सन्दर्भ में कम से कम दो दशकों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हो'।

जैसा कि नीति की प्रस्तावना में कहा गया है, शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने का कार्य काफी व्यापक था– समय के लिहाज से भी और इसमें जुड़े संस्थानों, संगठनों व व्यक्तियों के लिहाज से भी। कमेटी ने न केवल पूर्व में विकसित विभिन्न दस्तावेजों जैसे– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, संशोधित नीति 1992, टी एस आर सुब्रमनियन कमेटी रिपोर्ट व देश की शिक्षा से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज़ो को सन्दर्भित किया बल्कि व्यक्तियों, संस्थानों आदि की टिप्पणियों को भी ध्यान में रखते हुए इस दस्तावेज़ को अन्तिम रूप दिया। नौ सदस्यों की इस टीम के साथ चर्चा-परिचर्चा में कुल 74 संस्थान (मंत्रालय, संगठन, संस्थाएँ और संघ आदि) और देश-विदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत 217 प्रबुद्ध व्यक्ति जुड़े थे। इसी के साथ जिन नागरिकों ने नीति में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की व व्यक्तिगत तौर

पर अपनी टिप्पणियाँ व प्रतिक्रियाएँ दीं उनके विचारों को भी जगह दी गई।

नीति की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह दस्तावेज़ लीक से हटकर है, इसको पढ़कर यह कथन पुख़्ता होता दिखाई देता है। नीतिगत दस्तावेजों में यह शायद ऐसा पहला दस्तावेज़ है जो अँग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। दस्तावेज़ की भाषा सहज, सुपाठ्य है। कई विचारों को पढ़ते वक्त यह भी महसूस होता है कि दस्तावेज़ में विचारों को उनके निहितार्थ सहित सम्पूर्णता में रखने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिये प्रारूप दस्तावेज़ कहता है कि स्कूल में लड़कियाँ सुरक्षित हों पर साथ ही यह भी बताता है कि सुरक्षा के माने क्या हैं और इस सन्दर्भ में स्कूल की, समाज की और अन्य संस्थाओं की क्या ज़िम्मेदारी होगी? इसी तरह अन्य दस्तावेजों की तरह इसमें विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी की बात भी कही गई है। लेकिन यह दस्तावेज़ इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ को भी साथ में रखता है, वह यह कि विद्यार्थी अपने आसपास के लोगों और समाज के दबाव में ना आएँ और वह करें जिसे लेकर वह आश्वस्त है और वास्तविक जुनूनी हैं।

दस्तावेज़ में चार भाग हैं– स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्र व शिक्षा में बदलाव। स्कूली शिक्षा को सम्बोधित करता पहला भाग सीखने की बुनियाद के रूप में 'प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा' अध्याय से शुरू है। नीति कहती है कि आरम्भिक वर्षों में जिसमें 0 से 3 और 3 से 8 वर्ष, दोनों वर्ग शामिल हैं, बच्चों की हर तरह से उत्कृष्ट देखभाल हो, यही बच्चे के एक सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित होने का एक बेहतरीन मौका है। विभिन्न अध्ययन भी यह सुझाते हैं कि आरम्भिक पोषण और शिक्षा बच्चे के जीवन भर के विकास को प्रभावित कर देते हैं। इसके साथ ही नीति यह भी रेखांकित करती है कि यदि शिक्षा में समता लानी है तब भी 'प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा' में निवेश जरूरी है। वंचित वर्ग के बच्चे स्कूल में आते ही पिछड़ने लगते हैं क्योंकि उनकी औपचारिक स्कूल के लिए कोई आवश्यक तैयारी ही नहीं हो पाती, न शारीरिक तौर पर और ना ही मनोसामाजिक तौर पर। नीति इस बात की अनुसंशा करती है कि इसमें दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढाँचा तैयार करे। साथ ही यह भी अनुशंसा करती है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को आरटीई एक्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाए। नीति आँगनवाड़ी, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के एक ही चारदीवारी में होने और बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों के पेशेवर विकास का भी प्रस्ताव रखती है। हालाँकि यह नीति इसका कोई ढाँचा प्रस्तावित नहीं करती।

बहुत से अध्ययन दर्शाते हैं कि पाँचवी तक आते-आते भी बच्चे पढ़ने-लिखने और संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी कौशल हासिल नहीं कर पाते। ये कौशल सीखने में आत्मनिर्भर बनने, लगातार सीखते रहने के लिए बहुत ही अहम हैं। नीति इन कौशलों की अहमियत तथा इनके विकसित न होने की वजह से बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों को रेखांकित करती है और यह भी कहती है कि यदि इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो इससे देश को होने वाला नुकसान काफ़ी बड़ा होगा। स्कूल में बच्चों को इन बुनियादी कौशलों को हासिल करने पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों मसलन शिक्षकों की पदस्थापना, बच्चों के साथ काम करने की उनकी क्षमता, मातृभाषा की अहमियत, बच्चों के पोषण और स्थानीय समुदाय की ज़िम्मेदारी आदि पर भी नीति विस्तार से चर्चा प्रस्तुत करती है।

शिक्षा आज यांत्रिक और रटने पर आधारित है। चाहे सरकारी विद्यालय हो अथवा प्राइवेट, चाहे आरम्भिक शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा

ज़ोर रटने पर है। इस अंक के लिए हाल ही में आयोजित संवाद में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों का भी यही कहना था कि छात्र अवधारणाओं को समझें, यह निहायत ज़रूरी है लेकिन पाठ्यक्रम का अधिक होना, उसका नियत समय पर पूरा करना, परीक्षा प्रणाली, माध्यम की भाषा आदि कई कारक हैं जिनकी वजह से बच्चे विषयवस्तु को समझने की बजाय उसे रट लेने को तरज़ीह देते हैं।

शिक्षा नीति का यह प्रारूप स्कूली शिक्षा के लिए एक नए ढाँचे को बनाने का प्रस्ताव रखती है। एक ऐसा ढाँचा जिसमें विषयवस्तु का बोझ कम हो, जो तार्किक चिंतन, विश्लेषण, स्वयं खोजकर सीखने को बढ़ावा दे, और जिसमें सीखने की वर्तमान मे प्रचलित प्रक्रियाओं जैसे बिना सोचे समझे रटना, बार बार दोहराते हुए सीखना आदि ना हो बल्कि बच्चे यह सीखें कि सीखना कैसे है। नीति यह भी कहती है कि बच्चों की उम्र उनके स्तर और रुचि को देखते हुए सीखने के तौर तरीके विकसित करने की ज़रूरत है और साथ ही यह शुरुआती वर्षों में मातृभाषा में शिक्षा की भी पैरवी करती है। ड्राफ्ट नीति का प्रस्ताव है कि समग्र, अनुभवात्मक, चर्चा और विश्लेषण-आधारित शिक्षा के लिए स्थान प्रदान करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम को कुछ आवश्यक अवधारणाओं तक कम किया जाए ताकि आवश्यक शिक्षा और महत्त्वपूर्ण सोच को बढ़ाया जाए। सभी विषयों पर समान जोर देने के साथ और, पाठ्यचर्या, सह-पाठयक्रम या पाठ्येतर क्षेत्रों में कोई कठिन अलगाव नहीं और व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं को समान दर्जा देने के साथ, छात्र की पसंद को सक्षम करने के लिए पाठ्यक्रम लचीला होगा। नीति के अनुसार कोर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें बनाना एनसीईआरटी की ही मूल ज़िम्मेदारी होगी। राज्य स्तर पर एससीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की बात कही तो गई है लेकिन उसके पास पाठ्यपुस्तकों के सिर्फ स्थानीय हिस्से के निर्माण की ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि ये किताबें एनसीईआरटी द्वारा विकसित मूल सामग्री के आधार पर विकसित होंगी। दूसरे शब्दों में राज्य को अपनी पाठ्यपुस्तक विकसित करने की पूरी स्वायत्तता दिए जाने और उसके विकसित किए जाने की कोई मंशा नहीं होगी। हालाँकि अभी एनसीईआरटी द्वारा विकसित पुस्तकें अन्य पुस्तकों से बहुत बेहतर हैं किन्तु सभी राज्यों में ऐसी क्षमता विकसित करना उनके संस्थानों की शैक्षणिक क्षमताओं के विकास का व स्कूली शिक्षा को बेहतर कर पाने की उनकी समझ के विकास के लिए अनिवार्य है। नीति में उनमें इस क्षमता के धीरे-धीरे विकास की बात शामिल किया जाना अच्छी बात होगी।

आकलन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, और मुख्य अवधारणाओं और कौशल के साथ-साथ उच्च क्रम क्षमता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सुधार किया जाएगा। ड्राफ्ट नीति छात्र तनाव को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती है, और साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में विशिष्ट परिवर्तनों की सिफ़ारिश भी करती है।

उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में नीति का प्रारूप सुझाता है कि उच्च शिक्षा केवल नौकरियों के लिए तैयार करने वाली न हो बल्कि ऐसी हो जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच, संवाद, समस्या निवारण, रचनात्मकता और बहुअनुशासनात्मक क्षमता का विकास करे। ये ही वे क्षमताएँ हैं जो इंसान को रोबोट से अलग करती हैं।

नीति प्रारूप उच्च शिक्षा के मौजूदा स्वरूप की कमियों को पहचानते हुए उच्च शिक्षा तंत्र के पुनर्गठन का सुझाव देता है। यह प्रारूप प्रस्तावित करता है कि उच्च शिक्षा, अभी खण्डों में बँटी हुई है उसे समेकित करना होगा, साथ ही इन संस्थानों को बहुअनुशासनात्मक भी बनाना होगा यानी विज्ञान, कला, मानविकी और पेशेवर क्षेत्रों के साथ ठोस काम सभी एक ही संस्थान में किए जाएँ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत, कई संस्थान ऐसे हैं जो एक खास विषय में ही शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये एकल विषयक संस्थान

पेशेवर व्यक्ति तैयार करते हैं लेकिन इसमें व्यक्तियों की व्यक्तिगत रुचि, रचनात्मकता व प्रतिभा विकसित नहीं हो पाती और न ही ऐसे व्यक्ति विकसित हो पाते हैं जो विविध विषयों का ज्ञान रखने वाले हों। नीति भिन्न-भिन्न लक्ष्य और कार्य के फोकस के मद्देनजर तीन प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रस्ताव रखती है : पहला- शोध विश्वविद्यालय जो अनुसंधान और शिक्षण दोनों पर समान रूप से अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे, दूसरा- शिक्षण विश्वविद्यालय जिनमें मूल रूप से शिक्षण पर फोकस होगा तीसरा- कॉलेज जो कि ऑटोनोमस संस्थान होंगे। लेकिन ये बिलकुल अलग-अलग नहीं होंगे बल्कि छात्रों को अपने कार्यों और लक्ष्यों के अनुरूप एक प्रकार के संस्थान से दूसरे में जाने की स्वायत्तता व स्वतंत्रता होगी। यह प्रारूप प्रस्तावित करता है कि सभी विषयों और क्षेत्रों में स्नातक शिक्षा का आधार एक 'उदार शिक्षा दृष्टिकोण' होगा, जो विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए बुनियाद का काम करे और इसमें चुने गए विषयों की विशेषज्ञता के लिए भी काम करें।

मसौदा नीति अनुसंधान को उत्प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए संरचनाओं और प्रक्रियाओं दोनों के माध्यम से अनुसंधान पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित करती है। इसके लिए, भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 'नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन' संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। फाउण्डेशन के काम में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के व्यापक क्षेत्रों में फंडिंग, अनुसंधान क्षमता का निर्माण और उत्कृष्ट शोध को मान्यता देना शामिल होगा। हालाँकि इस फाउण्डेशन के सदस्य कौन होंगे? इनका चयन कैसे होगा और कौन करेगा, उस चयन के आधार क्या होंगे इन सब पर गम्भीर मनन की आवश्यकता है। नीति के अनुसार इस संकाय के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों है? क्या प्रधानमंत्री के पास वह नज़रिया और इतना समय होगा कि वे शोध को दिशा दे पाएँ? यह समिति पूरे देश की शोध ज़रुरतों का अन्दाज़ कैसे लगाएगी?

इसके अलावा ड्राफ्ट नीति कई अन्य महत्त्वपूर्ण मसलों पर भी विचार करती है व उनको आज के सन्दर्भ में प्रस्तुत करती है। इसमें शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, और अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना शामिल है। भाषा के मसले पर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव व कई बुनियादी मुद्दे रखे गए हैं जो शिक्षा में भाषा के प्रति नीति की मान्यताओं को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं और आगे का रास्ता हमारे सामने रखते हैं।

शिक्षक-शिक्षा के सन्दर्भ में नीति का प्रारूप प्रस्तावित करता है कि सभी विश्वविद्यालय शिक्षक-शिक्षा का 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान करेंगे। यानी सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक-शिक्षा के विभाग बनें और स्कूल/ स्कूल कॉम्प्लेक्स व उच्च शिक्षण संस्थानों में सम्पर्क बनें। नीति प्रारूप के अनुसार अब से शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम केवल उच्च शिक्षा के बहुविषयक संस्थानों द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएँगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, देश की शिक्षा को सुदृढ़ करने, भविष्य के वर्षों के लिए देश को तैयार करने के लिए प्रस्तावित है। नीति में प्रस्तावित कई विचार उल्लेखनीय हैं व सही दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। पर कई जगह पर नीति में इन लीक से हटकर विचारों को आगे ले जाने का कोई सशक्त रास्ता प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि क्या इसमें दिए गए विचारों को हम ज़मीनी स्तर तक ले जा पाएँगे? उन्हें अमलीज़ामा कैसे पहनाया जाएगा? यह प्रश्न तो फिर भी है ही।

जैसा कि ऊपर कहा गया है यह नीति चार भागों में विभाजित है, लेकिन हमने यहाँ शुरुआती दो भागों स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में प्रस्तावित कुछ बिन्दुओं को विचारार्थ रखा है। नीति के इस प्रारूप पर विभिन्न मंचों के जरिए

चर्चा अभी जारी है। यह अभी भी खुली चर्चा के लिए mygov.in पर टिप्पणियों व सुझावों के लिए उपलब्ध है। हमारी अपेक्षा है कि **पाठशाला भीतर और बाहर** के वर्तमान और भावी लेखक व पाठक अपने अनुभव के आधार पर नीति के इस प्रारूप का विश्लेषण करें साथ ही बदलाव के लिए, इसके कार्यान्वयन के लिए यदि कुछ सुझाना चाहते हैं तो वह भी सुझाएँ। आप चर्चा और विश्लेषण के लिए कोई भी विशिष्ट खण्ड चुन सकते हैं।

गुरबचन सिंह
रजनी द्विवेदी